SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, this is the Rule Book of 2000.

श्री सभापतिः आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं ....(**व्यवधान**)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : नहीं सर, यह बोलने की बात नहीं है ....(**व्यवधान**)...

SHRI N. JOTHI: Sir, I am raising...*(Interruptions)...* Sir, can I not argue on the basis of law? *..'.(Interruptions)...*

श्री सभापति : आप बैठ जाइए।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : महोदय,मैं जो बोल रहा हूं ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए, मैं जो बोल रहा हूं ....I am quoting from "Rulings and Observations from the Chair" of Rajya Sabha Secretariat.

> "On 31 August 1973, Shri Niresh Ghosh wanted to put some questions by way of seeking clarifications on a statement of personal explanation made by the Minister of Railways, Shri L.N. Mishra." Shri L.N. Mishra was not a Member of this House at that moment of time.

"The Chairman observed:

> You cannot discuss it here...I will tell you that on personal explanations no questions are put."

SHRI N. JOTHI: He is not a Member.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः एलाऊ नहीं करूंगा। ....(**व्यवधान**)... कोई नाम देने की जरुरत नहीं है, matter is over ...(Interruptions)... कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है। ....(**व्यवधान**)... आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाय है। ....(**व्यवधान**)...The Protection of Women from Domestic Violence Bill, 2005.. *.(Interruptions)...* Shrimati Kanti Singh... *(Interruptions)...*

GOVERNMENT BILLS

The Protection of Women from Domestic Violence Bill, 2005

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्रीमती कांति सिंह**): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि ऐसी महिलाओं के, जो कुटुम्ब के भीतर होने वाली किसी किस्म की हिंसा से पीडित हैं, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपलंब करने वाले विधेयक पर, लोक सभाप द्वारा पारित रुप में, विचार किया जाए।"

MR. CHAIRMAN: I will not allow...*(Interruptions)...* Nothing will go on record..*(Interruptions)...* I will not allow...*(Interruptions)...*

श्रीमती कांति सिंहः सभापति महोदय, मैंने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 को ऐसे समय में लाने का काम किया है जबकि देश में लिंग रेट, हिंसा, घरेलू हिंसा, दहेज संबंधी हिंसा इत्यादि पूरे देश में विस्तृत रुप से फैले हुए हैं। उन सबका कारण है हमारा समाज। आज भी महिलाओं के प्रति ....(**व्यवधान**)...

PERSONAL EXPLANATION BY SHRI P. CHIDAMBARAM, MINISTER OF FINANCE - *Contd.*

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज अपनी सीट पर जाइए। माननीय सदस्य, किस विषय पर आपत्ति हो रही है, मैं नहीं समझता। माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दे दी है। पर्सनल एक्सप्लेनेशन के संबंध में, आपने दो आपत्तियां उठाई हैं। एक तो यह कि वे इस हाउस के मैंम्बर नहीं हैं, इसलिए पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। दूसरी आपत्ति यह उठाई है कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन के ऊपर स्पष्टीकरण या क्लेरिफिकेशन मांग सकते हैं। मैंने आपको अपनी दो विषयों पर आज की व्यवस्था नहीं, पुरानी व्यवस्था बता दी है। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर विषय पर ही कोई व्यवस्था चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक व्यवस्था और सुना देता हूं, जिससे आपको इन बातों का जवाब मिल जाएगा। एक व्यवस्था और सुना देता हूं, जिससे आपको इन बातों का जवाब मिल जाएगा। "Personal explanation: Ministers have right to make personal explanation". 3rrcr आप मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। ....(**व्यवधान**)... आप बैठिए, मैं बोल रहा हूं। ....(**व्यवधान**)... यह मत कहिए कि मैं खड़ा हूं और आप बीच में बोल रहे हैं। ....(**व्यवधान**)... आप पेज नम्बर निकल लीजिए, this is from "Rajya Sabha Rulings and Observations from the Chair (1952-2000)", page 352. अब इसके लिए आप बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं आपको पेज नं0 भी बतलाऊंगा। ....(**व्यवधान**)... एक मिनट, ...(**व्यवधान**)...

> "On 30[lh] August 1990, the Deputy Chairman called the Minister of State in the Ministry of Environment and Forests, Shrimati Maneka Gandhi, to make her personal explanation regarding a dispute between her and the Minister of Environment and Forests, Shri Nilamani Routray.
>
> On this issue, Shri Kamal Morarka and other members raised a point of order that Shrimati Maneka Gandhi was not a member of Rajya Sabha, and as such she could not make a personal explanation.